

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 225 / 2012

दर्ज दिनांक:-04.07.2012

1. जीतेन्द्र पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. रामवीर पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। वादी व उनके वकील कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित अदालत नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर